दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, रविवार 13 नवंबर 2022

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

शहर में दोपहिया वाहन चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के तेलीबांधा पुलिस की टीम ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि चारों आरोपी शहर में घुम-घुमकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 7 दोपहिया वाहन जब्त किए है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चार लडक़े बिना नंबर की बाइक को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे है। सूचना पर पुलिस की टीम मरीन ड्राइव के पास पहुंचकर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। जिससे आरोपियों ने अपना नाम मोहम्मद अफजल उर्फ अक्कू 21 वर्ष निवासी पंडरी, जितेन्द्र श्रीवास्तव उर्फ जित्तु 19 वर्ष निवासी मोवा, चंद्रशेखर साहू उर्फ सोनू 21 वर्ष निवासी पंडरी व चम्मन लाल साहू 21 वर्ष निवासी ग्राम खमतराई बताया। पूछताछ में आरोपियों ने शहर के थाना गंज, पंडरी, गोल बाजार, तेलीबांधा अवंति विहार, शंकर नगर, सिविल लाईन व अन्य क्षेत्रों में घुम-घुम कर दुपहिया वाहन बुलेट 1, बजाज पल्सर 1, एक्टिवा 3, केटीएम 1, होंडा साईन 1 कुल 7 नग चोरी करना स्वीकार किये। आरोपियों ने बताया कि चोरी करने के बाद नंबर प्लेट को बदल देते थे और बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

धर्मांतरित 3 परिवार ने सरपंच सहित 3 के खिलाफ थाने में की शिकायत

कांकेर (आरएनएस)। जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अर्रा गांव में धर्मांतरित तीन परिवार के लोगों ने एसडीएम और पुलिस के पास यह शिकायत की है कि उन्हें सरपंच, ग्राम पटेल और अन्य लोगों ने खेत से फसल काटने से रोका जा रहा है, नल से पानी लेने से रोका जा रहा है। यही नहीं गांव से बाहर जाने के लिए धमकाया जा रहा है। अर्रा गांव की तुलसी बत्ती पोटाई, महेश कावड़े आदि ने एसडीएम और थाने में जो शिकायत की है, उसके मुताबिक उन्हें गांव के लोग धमका रहे हैं, कि यदि वे खुद से गांव से बाहर नहीं चले जाएंगे तो उनके घर में तोड़-फोड़ कर भगाएंगे। आमाबेड़ा थाना प्रभारी हरिशंकर ध्रुव के मुताबिक थाने में शिकायत मिली है, उन्होंने गांव के लोगों को समझाइश दी है। साथ ही, उच्च अधिकारियों को भी घटना के संबंध में जानकारी दी गई है।

बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने दिया जायेगा स्वर्ण बिन्दु प्राशन

कोरबा (आरएनएस)। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बच्चे रहे स्वस्थ योजनान्तर्गत पतंजलि चिकित्सालय निहारिका में दिनांक 14 नवंबर 2022 सोमवार को अति शुभ पुष्य नक्षत्र में आयुर्वेदिक इम्यूनाईजेसन प्रोग्राम के तहत स्वर्ण बिन्दु प्राशन संस्कार प्रात: 10 बजे से कराया जायेगा। प्रतिमासानुसार इस माह में भी बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ष्बच्चे रहे स्वस्थ योजनान्तर्गत पतंजलि चिकित्सालय निहारिका में दिनांक 14 नवंबर 2022 सोमवार को अति शुभ पुष्य नक्षत्र में आयुर्वेदिक इम्यूनाईजेसन प्रोग्राम के तहत स्वर्ण बिन्दु प्राशन संस्कार कराया जायेगा। जिसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चो को स्वर्ण बिन्दु प्राशन ड्रॉप्स पिलाकर आयुर्वेद पद्धति से टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य का निशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण करने के साथ बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये बच्चों को एवं उनके अभिभावकों को बच्चों की आयुनुसार उनके लिए उपयोगी आहार विहार के विषय मे विस्तार से जानकारी देने के साथ उनके लिए उपयोगी योग प्राणायाम का भी निशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।

हाईवे पर लूटपाट करने वाले 4 आरोपी खरसिया पुलिस की गिरफ्त में, आरोपियों में एक नाबालिग बालक भी

- मोबाईल सप्लायर से किये थे 9500 रुपए, मोबाइल चार्जर व एयर फोन की लूटपाट
- रिपोर्ट दर्ज हाने के 24 घंटे के भीतर आरोपियों तक पहुंची खरसिया पुलिस
- आरोपियों से घटना में प्रयुक्त बाइक, नकद रकम, मोबाइल चार्जर व एयर फोन बरामद
- लूट के अपराध में भेजे गये रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 12.11.2022 को थाना प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम के नेतृत्व में #खरसिया पुलिस द्वारा कुनकुनी वेदान्ता कोल वासरी मेन रोड में मोबाईल सप्लायर से नकद रूपये, मोबाइल चार्जर, एयर फोन की लूटपाट करने वाले चार अज्ञात लूटेरों को घटना के 24 घंटे के भीतर हिरासत में लिया गया है। आरोपियों से खरसिया पुलिस ने नकद रकम रु.3,000 रूपये, मोबाइल चार्जर, एयर फोन और आरोपियों की सोल्ड HF DELUXE काला सिल्वर रंग मोटर सायकल बरामद किया गया है, आरोपियों को लूटपाट के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, आरोपियों में एक विधि के साथ संघर्षरत बालक है जिसे बाल किशोर न्यायालय रायगढ़ में पेश किया गया है।

जानकारी के मुताबिक ढिमरापुर चौक रायगढ़ के फ्रेन्डस कालोनी में रहने वाला पाचाराम देवासी (22 साल) दूकानों में मोबाईल सप्लाई करता है। पाचाराम देवासी कल दोपहर थाना खरसिया आकर थाना प्रभारी नंद किशोर गौतम को बताया कि दिनांक 07/11/2022 को खरसिया के 03-04 मोबाईल दुकान में समान बिक्री का पैसा कलेक्शन करके मोटर सायकल से दोपहर करीब 02:30 बजे वापस रायगढ़ जाते समय कुनकुनी वेदान्ता कोल वासरी के मेन रोड़ में एक काला सिलवर रंग का मोटर सायकल HF- डिलक्स सोल्ड मे सवार 04 व्यक्ति खरसिया तरफ से आये और इसके मोटर सायकल HF डिलक्स क्रमांक 1219 के आगे आकर रोक दिये उसमें से एक लड़का मोटर सायकल की चाबी निकाल लिया और इसी के रूमाल से इसके दोनों हाथों को पीछे से बांध कर जेब में रखा 9,500 रूपये तथा बेग में रखा मोबाईल चार्जर व एयर फोन को छिनकर चोरों अपने मोटरसायकल में बैठ कर खरसिया तरफ भाग गये।

थाना प्रभारी खरसिया अज्ञात आरोपियों पर लूट का अपराध दर्ज कर पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, एएसपी संजय महादेवा, एसडीओपी खरसिया निमिषा पाण्डेय को अवगत कराया गया जिनके दिशा-निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम द्वारा अपने स्टाफ के साथ घटनास्थल जाकर वारदात समय के फुटेज चेक किये और आसपास के लोगों से जानकारी लिये जिनमें चंदनतालाब पार खरसिया के लड़कों को घटना दिनांक को संदिग्ध घूमते देखना बताये। पुलिस टीम छापेमारी कर संदेही कबीर दास महंत उर्फ अमो, सचिन महंत उर्फ मुंडा, देव जलतारे उर्फ लिंबू और उनके एक साथी किशोर बालक को हिरासत में लिया गया जिनसे कड़ी पूछताछ में चारों हाइवे पर कुनकुनी वेदान्ता कोल वासरी के मेन रोड़ में एक युवक (पाचाराम देवासी) से 9,500 रूपये तथा मोबाइल चार्जर, एयर फोन की लूट करना बताये जिनके मेमोरेंडम पर 3,000 रूपए, मोबाइल चार्जर, एयर फोन और आरोपियों की सोल्ड मोटर सायकल बरामद किया गया है। घटना कारित करने वाले आरोपी (1) कबीर दास महंत उर्फ अमो पिता बुद्धू दास उम्र 21 वर्ष (2) सचिन महंत उर्फ मुंडा पिता संजय महंत उम्र 18 वर्ष (3) देव जलतारे उर्फ लिंबू पिता हेमंत जलतारे उम्र 18 वर्ष तीनों निवासी चंदन तालाब पार खरसिया (4) विधि के साथ संघर्षरत बालक को लूट के अपराध में सक्षम न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। लूटपाट मामले में माल मुल्जिम पतासाजी में थाना प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम, सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी राठौर, प्रधान आरक्षक राकेश राठौर, आरक्षक विशोप सिंह, प्रदीप तिवारी, मुकेश यादव, सत्या सिदार की अहम भूमिका रही है।

बुजुर्ग दंपत्ति के बीच हुए लड़ाई-झगड़े का नेशनल लोक अदालत में हुआ निपटारा, आपसी मनमुटाव भुला कर खुशीपूर्वक घर गए दंपत्ति

रायगढ़। श्रीमान भास्कर मिश्रा के न्यायालय में एक बुजुर्ग दंपति के आपसी विवाद लड़ाई झगड़े के कारण धारा 294 506 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराधिक प्रकरण क्रमांक 341/2022 दर्ज किया गया था। जो इस प्रकार था की दिनांक 03.09.2022 को प्रार्थिया लालमुनी यादव पति मुनीलाल यादव उम्र 52 वर्ष साकिन पंजरीप्लांट थाना चकधरनगर रायगढ़ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह सब्जी भाजी बेचकर जीवन-यापन करती है, उसका पति आरोपी मुनीलाल यादव उम्र 60 वर्ष, जो काम धाम नहीं करता है और घर में भी नहीं रहता है दिनांक 03.09.2022 के रात्रि करीब 11 बजे घर आया तब वह बोली कि इतने देर तक कहा थे तब वह बोलने लगा कि तुम पूछने वाली कौन होती हो, मैं कही भी रहू और यह बोलते हुए मां बहन की अश्लील गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया है।

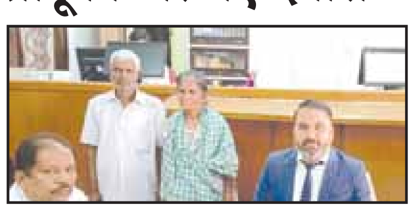

यद्यपि प्रकरण इसी वर्ष प्रस्तुत किया गया था किंतु चूंकि प्रकरण में धारा शमनीय प्रकृति की थी तथा प्रार्थिया एवं आरोपी की आयु अधिक थी, वे पति पत्नी थे, जिससे न्यायालय द्वारा प्राथमिक स्तर पर ही दोनो पक्षों को बुला कर समझाइश दी गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि नेशनल लोक अदालत में एक आपराधिक प्रकरण आपसी समझौते से आज न्यायालय में समाप्त हुआ और दोनों बुजुर्ग पति पत्नी आपसी मनमुटाव भुला कर अपने घर वापस गए। न्यायालय का ऐसे गरीब एवं बुजुर्ग पक्षकारों के मध्य में हुए विवाद में शीघ्र प्रयास से उनमें सुलह करा समझौते से मामलों का निराकरण करना निश्चित रूप से न्यायालय में लोक अदालत के समय समय पर आयोजन तथा विधायिका के कुछ अपराधों को शमनीय प्रकृति का बनाने के उद्देश्य को सार्थक करता है।

दरोगापारा से स्कूटी चोरी करने वाले आरोपी को वाहन चोरी रिपोर्ट के दूसरे ही दिन ढूंढ निकाली कोतवाली पुलिस

- आरोपी से चोरी की एक्टिवा बरामद कर भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा व नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर #कोतवाली पुलिस मुखबीर सक्रिय कर दुपहिया वाहन चोरी करने वालों पर निगाह रखे हुए हैं। इसी क्रम में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे को आज सुबह मुखबीर सूचना दिया कि केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति एक्टिवा स्कुटी बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है जिसके पास वाहन के कागजात नहीं है, थाना प्रभारी के निर्देशन पर तत्काल थाना कोतवाली

से प्रधान आरक्षक दिग्विजय दास वैष्णव के हमराह आरक्षक विनोज लकड़ा मौके पर जाकर एक्टिवा स्कूटी बेचने वाले से पूछताछ, तस्दीक किया गया, पूछताछ पर व्यक्ति अपना नाम निरंजन सेठ उर्फ बांगू निवासी रेलवे कॉलोनी का रहने वाला बताया, संदेही कड़ी पूछताछ में उसके कब्जे की स्कूटी को दरोगापारा से 8 नवंबर की रात्रि चोरी करना बताया। उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में कल थाना कोतवाली में दरोगापारा टिकरापारा में रहने वाले संघप्रिय कर (उम्र 29 साल) द्वारा घर के सामने से 8 नवंबर की रात करीब 9-10 बजे के बीच स्कूटी एक्टिवा क्रमांक CG13 U-2746 के चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, कोतवाली पुलिस अज्ञात आरोपी पर वाहन चोरी का अपराध दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर मुखबिर तैनात कर रखा गया था जिसमें कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी निरंजन सेठ उर्फ बांगू पिता स्वर्गीय प्रबोधचंद्र उम्र 38 साल निवासी 90/ 3 बालू गोदाम के सामने रेलवे कॉलोनी रायगढ़, स्थाई मकान 624/ए जोन-1 भिलाई चरोदा जिला दुर्ग से एक्टिवा क्रमांक CG13 U2746 कीमती 40,000/रूपये का जप्त कर आरोपी को वाहन चोरी के अपराध में सीजीएम कोर्ट न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के नेतृत्व में माल-मुल्जिम पतासाजी में प्रधान आरक्षक दिग्विजय दास वैष्णव, आरक्षक विनोज लकड़ा की प्रमुख भूमिका रही है।

नेशनल लोक अदालत में हुआ प्रकरणों का निपटारा

रायगढ़। नेशनल लोक अदालत, जो इस बार विशेष हाईब्रीड लोक अदालत के रूप में वर्चुअल एवं फिजिकल दोनों माध्यमों से जिला न्यायालय रायगढ़ सहित तहसील न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ एवं खरसिया में आयोजित किया गया। जिला एवं तहसील न्यायालयों को मिलाकर कुल 21 खण्डपीठों का गठन किया गया। श्रम न्यायालय एवं किशोर न्याय बोर्ड का भी खण्डपीठ गठन किया गया। रायगढ़ एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ के राजस्व न्यायालयों में भी खण्डपीठों का गठन किया गया।

जिला एवं तहसील न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य मामले जैसे-मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण, आपराधिक मामले, विद्युत मामले, श्रम विवाद, पारिवारिक विवाद, चेक अनादरण, सिविल मामले के साथ-साथ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामले, जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुए खण्डपीठों में लंबित प्रकरण 1879 एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरण 15282 को राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु लोक अदालत में रखा गया।

रखे गये कुल 17161 प्रकरणों में से लंबित 1391 एवं प्रीलिटिगेशन 4660 प्रकरण निराकृत हुये। इस प्रकार कुल 6051 प्रकरणों का निराकरण, जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड, रायगढ़ एवं तहसील स्थित ब्यवहार न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ एवं खरसिया न्यायालय में राजीनामा के आधार पर किया गया और उन प्रकरणों के अंतर्गत कुल 2 करोड़ 11 लाख 53 हजार 958 रूपये का सेटलमेंट हुआ।

राजस्व न्यायालयों में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बंटवारे के मामले, कब्जे के आधार पर बंटवारा के मामले, दण्ड प्रक्रिया संहिता 145 के कार्यवाही के मामले, विक्रयपत्र/दानपत्र/वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण के मामले एवं शेष अन्य प्रकृति के कुल 4473 मामले रखे गये जिनमें से 4445 मामलों का निराकरण आज की लोक अदालत में राजस्व न्यायालयों की गठित खण्डपीठ द्वारा किया गया।

नेशनल लोक अदालत में राजीनामा हेतु न्यायालय में आने वाले पक्षकारों के लिये न्यायालय परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था की गई। समग्र यात्री जन कल्याण एवं सेवा समिति, रायगढ़ के द्वारा लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिये नि:शुल्क बस सेवा सुविधा उपलब्ध कराई गई। मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी रायगढ की ओर से, जिला रायगढ़, सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़ एवं खरसिया के न्यायालयीन परिसर में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई थी।

धारदार हथियार के साथ घूमते पकड़े गए दो युवकों पर जूटमिल पुलिस ने की आर्म्स एक्ट की कार्यरवाई

रायगढ़। एसपी अभिषेक मीणा एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा के दिशा-निर्देशन पर अपराधों पर अंकुश लगाने पुलिस टीमों द्वारा माइनर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल दिनांक 11.11.2022 को चौकी प्रभारी जूटमिल उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल के नेतृत्व में जूटमिल पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर धरमपुर बस स्टैण्ड मेन रोड़ एवं ग्राम गुडगहन में दो लड़कों को सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लिये घूमते पकड़ा गया है।

जूटमिल पुलिस टीम द्वारा कल शाम मुखबिर सूचना पर धरमपुर बस स्टैण्ड मेन रोड सार्वजनिक स्थान में लोहे का धारदार हथियार (कत्ता) लहराते आरोपी देव सिंह सिदार पिता स्व कृष्ण कुमार सिदार उम्र 20 साल साकिन गुडगहन डीपापारा को पकड़ा गया जिसके पास से एक लोहे का धारदार कत्ता जप्त किया गया है।

दूसरी कार्रवाई देर शाम को ग्राम गुडगहन में की गई है, गाँव के बीच बस्ती में आरोपी गौतम भुईहर पिता केडा राम भुईहर उम्र 30 साल निवासी गुडगहन को लोहे का धारदार कत्ता से गाँव वालों को भयभित करते पकड़ा गया है। दोनों पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल, सहायक उप निरीक्षक विजय गोपाल, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र सिदार, आरक्षक धर्नुजय चंद बेहरा, विनय तिवारी की प्रमुख भूमिका रही है।

सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र सहायक शिक्षकों का सूची का प्रकाशन

रायगढ़। छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के परिपालन में सहायक शिक्षक (एलबी) से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के संबंध में जिला स्तरीय छानबीन समिति का बैठक गत दिवस आहूत की गई। जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि समिति ने रिक्त पद के अनुपात में सहायक शिक्षक (एलबी) से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पदोन्नति हेतु विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत पदोन्नति प्रस्ताव में समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पात्र/अपात्र/असहमत सहायक शिक्षक (एलबी) संवर्ग (ई/टी)के सूची का

प्रकाशन किया जा रहा है। उक्त सूची को अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करें एवं अपने विकास खण्ड के वाट्सअप ग्रुप में प्रसारित कर संबंधितों को सूचित करना सुनिश्चित करें।

पदोन्नति हेतु काउसिंलिंग तीन चरणों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित

प्रथम चरण स्कूल से स्कूल दिनांक 15 नवम्बर 2022

द्वितीय चरण विकास खण्ड स्तर पर दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022

तृतीय चरण- जिला स्तरीय दिनांक 23 नवम्बर 2022

प्रथम चरण का काउसिंलिंग संपन्न होने के पश्चात् द्वितीय चरण की काउसिंलिंग विकास खण्ड के पद रिक्तता के आधार पर काउसिलिंग हेतु सूची जारी की जावेगी। इसी प्रकार तृतीय चरण की काउसिलिंग के लिए विकास खण्ड स्तर की काउसिंलिंग संपन्न होने के पश्चात जिला स्तरीय काउसिंलिंग हेतु सूची जारी की जायेगी। सभी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, दिये गये निर्देशानुसार संबंधित पात्र शिक्षकों को काउसिंलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें।

एक माह में प्राकृतिक आपदा के 43 प्रकरणों का निराकरण, परिजनों को दी गई 1.72 करोड़ की सहायता राशि

- कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का तेजी से हो रहा निराकरण
- माह अक्टूबर में जिले में प्राकृतिक आपदा के 43 प्रकरणों का हुआ निराकरण
- मृतक के नजदीकी वारिसानों को दिए गए 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू ने प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश विशेष रूप से सभी राजस्व अधिकारियों को दिए हुए हैं। जिससे पीड़ित परिवार को ऐसे मुश्किल समय में सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराई जा सके। उनके निर्देश के परिपालन में बीते अक्टूबर माह रायगढ़ जिले में प्राकृतिक आपदा के 43 प्रकरणों का निराकरण किया गया। जिसमें मृतक के वारिसानों को आरबीसी 6-4 के तहत 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है।

कलेक्टर साहू ने प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों में सभी एसडीएम को सारी औपचारिक कार्यवाही जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश दिए हुए हैं। जिसके आधार पर मृतकों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा,

डॉक्टर का शव परीक्षण रिपोर्ट, संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान के साथ अन्य प्रक्रिया पूरी की गई। तहसील स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सहायता राशि प्रदान करने की अनुशंसा की गई। जिसके पश्चात सहायता राशि स्वीकृत कर परिजनों को वितरित किया गया।

उल्लेखनीय है कि जिले में माह अक्टूबर 2022 में सभी अनुविभाग अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के तहत जैसे पानी में डूबने, सर्पदंश से मृत्यु, बिजली गाज, आग में जलने, गड्ढों में गिरने एवं खदान धसकने से कुल 43 लोगों की असामायिक मृत्यु हो गई थी। उक्त सभी प्रकरणों में कलेक्टर रायगढ़ के निर्देशन में संबंधित अनुविभाग के एसडीएम द्वारा तहसीलदार की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता राशि स्वीकृत कर वितरण कर दिया गया है। जिसके तहत मृतक के परिवारजनों को कुल 1 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इनमें रायगढ़ अनुविभाग अंतर्गत 10, पुसौर के 01, खरसिया के 7, घरघोड़ा के 5, तमनार के 2 एवं धरमजयगढ़ में 18 प्रकरण थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480